जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा, प्लॉट नम्बर 44 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.3866 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300300 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 2774/1097 एवं 2777/1103 निकट ग्राम नरसिंहवाला तहसील – पाटन जिला सीकर (राजस्थान) में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 22.05.2026 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 02.04.2026 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, न्यौराणा, तहसील पाटन एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2026/1233 दिनांक 02.04.2026 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसआईके–पीएच–050/45–55 दिनांक 08.04.2026 के अनुपालना में मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा, प्लॉट नम्बर 44 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.3866 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300300 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 2774/1097 एवं 2777/1103 निकट ग्राम नरसिंहवाला तहसील – पाटन जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 22.05.2026 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **पंजाब केसरी** के संस्करण में दिनांक

अति॰ जिला कलक्टर, नीमकाथाना

16.04.2026 एवं **दैनिक नवज्योति** के संस्करण में दिनांक 16.04.2026 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रंबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स वितास्ता ईन्वायरो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री जयप्रकाश के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्‌टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाए की जायेगी।

श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :–

Savita

अति० जिला कलक्टर, नीमकाथाना

1. श्री शंकर जी, नरसिंहवाला ने बताया कि गांव में इस खनन परियोजना की जन सूनवाई की सूचना नहीं है।
तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि यह खनन परियोजना की जन सूनवाई की सूचना समचार पत्र मे प्रकाशित की गई थी एवं जन सुनवाई से 01 दिवस पहले पूरे गांव में माईक द्वारा मुनादी करवाई गई है जिसकी फोटों एवं विडियों आप देख सकते है। उक्त जन सूनवाई के लिए व्यक्ति विशेष को सूचना नहीं दी जाती है। चूंकि यह एरीया खनन क्षेत्र है और यहां पर बहुत शिकायते आती है। जन सूनवाई के दौरान दी गई रिपोर्ट के अनुसार खनन प्रतिनिधि द्वारा राजकीय विद्यालय में फर्नीचर, शौचालय आदि का कार्य मे खर्च करें एवं खनन क्षेत्र में होने वाले हादसों से बचने के लिए ऐसे में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बिमा, सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था की जाये। खनन प्रतिनिधि द्वारा ऑवरलोड वाहन नहीं चलायें तथा मिनरल को कवर करके लेके जाये। उचित वृक्षारोपण करते रहें।

सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में कोई सुझाव/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

Regional Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
Shivsingh pura Housing Board, SIKAR -332001

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना जिला सीकर

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीम का थाना (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा, प्लॉट नम्बर 44, क्षेत्रफल 1.3866 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 300300 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 2774/1097 एवं 2777/1103 निकट ग्राम नरसिंहवाला तहसील – पाटन जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 02.04.2026 के **द्वारा** उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **22.05.2026 (शुक्रवार)** को **प्रातः 11:00 बजे**, स्थान– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, न्यौराणा, तहसील पाटन एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, न्यौराणा, तहसील पाटन एवं जिला सीकर ।**

दिनांक :– **22.05.2026** समय :– **प्रातः 11.00 बजे (शुक्रवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	भागीरथ शाक्य ADM NKT	[signature]
2.	Savita, RO, RSPCB, Sikar	Savita
	राजपाल डोई, डाबला पाटन	[signature]
	अजय मीणा न्यौराणा	अजय
	Gangadhar अहीर	[signature]
	रामनारायण पंडित	[signature]
	विकास कुमार मीणा	विकास
	कृष्ण गुर्जर छापोली	कृष्ण
	मुकेश गुर्जर डाबला	mukesh
	शेरसिंह गुर्जर न्यौराणा	Sher Singh
	घनश्याम गुर्जर	[signature]

9653958596	महावीर प्रसाद नामोता	[illegible]
	महिपाल गाँव हेमराजपुरा	[illegible]
~~768~~	मेहर सिंह मीणा, मालीवास	[illegible]
	अन्नु राजपूत (VPO)	[illegible]
	करण सिंह गुर्जर (पटवारी) डोकन	[illegible]
	रमेश	रमेश
	Kunal Nagora	Nagora
	Sandeep Kumar	Sandeep
	[illegible]	[illegible]
	घासीराम पारन	घासीराम
	विकास पारन डोकन	[illegible]
	रवि डोकन	[illegible]
	Neelam Gurulej [illegible]	[illegible]
	शंकर	शंकर

...यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे

...नए पोर्टल और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा।

...होगी तथा मार्ग परिवर्तन के कारण यह रेल... पर ठहराव नहीं करेगी और सोगरिया स्टे...

...म्मूतवी ...अब ...संचालित ...पश्चिम रेलवे के ...सम्पर्क अधिकारी अमित ...ने बताया भगत की कोठी ...म्मूतवी भगत की कोठी ट्रेन भगत की कोठी से 20 अप्रेल से एवं जम्मतवी से 21 अप्रेल से इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित होगी।

स्क्रैप मैटेरियल बेचकर जयपुर मंडल ने कमाए 78 क...

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 में स्क्रैप बिक्री के माध्यम से राजस्व सृजन करते हुए 78.40 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि जयपुर मंडल ने किसी एक वित्त वर्ष में अब तक की सर्वाधिक बिक्री है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जयपुर मंडल को स्क्रैप बिक्री के माध्यम से 65 करोड़ रुपए के राजस्व सृजन का लक्ष्य दिया था। मंडल ने न केवल इस लक्ष्य को प्राप्त किया, बल्कि इसे 20.62 प्रतिशत से अधिक पार करते हुए सफलता दर्ज की। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में बेचे गए 26.54 करोड़ के स्क्रैप मैटेरियल की तुलना में लगभग 3... के लिए मंडल रेल प्र... सभी अधिकारियों एवं ... दी और कहा यह स... की दिशा में एक कद...

स्क्रैप निष्पादन क... मीणा वरिष्ठ मंडल सामग्र... किया है।

अंबेडकर के संविधान से मिला सम्मान और अधिकार:चोपदार

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर पीसीसी कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से संविधान जागरूकता एवं एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार ने कहा कि अंबेडकर ने देश के प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी के नव नियुक्त पदाधिकारियों, सोशल मीडिया टीम तथा असम विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाली टीम का सम्मान किया। बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में प्रदेश के प्रत्येक जिले में सद्भावना सम्मेलन होंगे। इस अवसर पर जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, पीसीसी संगठन महासचिव ललित तूनवाल, पीसीसी सचिव ताराचंद सैनी, सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY, KOTA

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010, Ph No.-0744-2473001 Fax No. 0744- 2473001, e-mail ID: registrar@rtu.ac.in

RTU/F(62)/GAD/30 & 31/ARC/ 2025-26/265-268

खुली ई-निविदा सूचना

Dated: 15/04/2026

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार खुली ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं-

निविदा	उपापन की विषय वस्तु	अनुमानित लागत	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय
NIB-03 2026-27	ARC for Hiring of Computer operators (85 nos.) UBN No. RTU2627SLRC00003	2.80 करोड़	24.04.2026 सायं 06:00 बजे तक
NIB-04 2026-27	ARC for Hiring of Unskilled / Semi Skilled / Skilled / Highly Skilled Staff Services (71 Nos.) UBN No. RTU2627SLRC00004	2.0 करोड़	24.04.2026 सायं 06:00 बजे तक

निविदा प्रपत्र/शर्तों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rtu.ac.in एवं राजस्थान लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। (कुलसचिव)

DNK-394009

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO Sikar/ SIK-PH-050/

दिनांक: 04.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय:- मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा, प्लॉट नम्बर 44, खसरा नम्बर 2774 / 1097 एवं 2777 / 1103, निकट ग्राम नरसिंहवाला, तहसील - पाटन एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोंकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 06.3572 हेक्टेयर, प्लॉट नम्बर 44, खसरा नम्बर 2774 / 1097 एवं 2777 / 1103, निकट ग्राम नरसिंहवाला, तहसील - पाटन एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

i जिला कलेक्टर, सीकर।
ii अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
iii राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
v महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
vi उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
vii ग्राम पंचायत, न्यौराणा, तहसील पाटन एवं जिला सीकर।
viii राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम न्यौराणा, तहसील पाटन एवं जिला सीकर।
ix निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
x क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 02.04.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.05.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम न्यौराणा, तहसील पाटन एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

DNJ 394017

परिसीमन मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों में रोष, बन सकते हैं 60 के दशक के हालात: गहलोत

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। देश में परिसीमन को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भारी रोष है। तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से केन्द्र सरकार को चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पीएम को दक्षिण की चिंता को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो 60 के दशक के हालात बन सकते हैं। गहलोत ने बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर दक्षिण के लोगों को यह महसूस हो गया कि उत्तर भारतीय हमारे ऊपर अनावश्यक परिसीमन थोप रहे हैं तो हालत बिगाड़ सकते हैं। तमिलनाडु सीएम की चेतावनी बहुत ही खतरनाक है। जैसे 1960 के दशक में दक्षिण के राज्यों में आंदोलन हुए थे, कहीं वैसी ही स्थिति न बन जाए। तमिलनाडु सीएम ने जो बात कही है, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनके दिलों में कैसी आग लगी हुई है। महिलाओं को आरक्षण मिले यह पूरा विपक्ष चाहता, लेकिन परिसीमन का जो तरीका अपना रहे हैं वह ठीक नहीं है। केंद्र सरकार 2021 में जनगणना नहीं करा पाई और बहानेबाजी करती रही, जबकि जनगणना हो जानी चाहिए थी। अब जनगणना के कमिश्नर कह रहे हैं कि 2027 में जनगणना कराएंगे। केन्द्र सरकार के मन में खोट है और वह षड्यंत्र कर रही है। अगर संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हुआ तो कहेंगे कि विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण का बिल पास नहीं होने दिया।

दक्षि...

न्यूज सवि... रेलवे मुख्या... रत्न डॉ. भी... जयंती मना... पश्चिम ... महाप्रबंधक... बाबासाहेब... माल्यार्पण... अर्पित की... करते हुए ... अंबेडकर ... पिछड़े वर्गों... ऐतिहासिक... और भारती... रखी। उन्हों... केन्द्रीय भू... एक महान वि... थे। महाप्रब... से उठकर दे... बनाना डॉ. ...

बरेका में डॉ. भीमराव अंबेडकर...

वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में बुधवार को प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह का महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी लालजी चौधरी ने महाप्रबंधक का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक आशुतोष पंत, प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्षों व अन्य अधिकारी, कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार यादव, एससी/एसटी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार आनंद एवं अन्य पदाधिकारी ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी लालजी चौधरी ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष एवं उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर... एक प्रेरणादायी डॉक्यूमेंट्री ... इस अवसर पर महाप्रबंध... बरेका इंटर कॉलेज में आयो... में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वा... द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार... किया गया।

कार्यक्रम में महाप्रबंध... साहेब के विचार आज भी...

स्वमित्वाधिकारी नवज्योति प्रिंटिंग प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक, प्रकाशक दीनबंधु चौधरी के द्वारा नवज्योति प्रिंटिंग प्रेस, जोबनेर बाग, स्टेशन रोड एवं दैनिक नवज्योति टॉवर, आम्रपाली सर्किल, वै... मेल: news.jaipur@dnavajyoti.com, advt.jaipur@dnavajyoti.com, RNI-6624/60, Postal Reg. No. Jaipur city/003/2024-26, अजमेर कार्यालय: नवज्योति कॉम्पलेक्स, केसरगंज... ई-मेल: news.ajmer@dnavajyoti.com, advt.ajmer@dnavajyoti.com, कोटा कार्यालय: 2, रावत भाटा रोड, कोटा फोन नं.-0744-2941756, 757, 758, ... 0145-2425873, 2625455, ई-मेल: news.jodhpur@dnavajyoti.com, advt.jodhpur@dnavajyoti.com, उदयपुर कार्यालय: 1810... के पास, नहर रोड, जोधपुर। फोन नं. 0291-2949300, 2944630, 3554974 ई-मेल: news.udaipur@dnavajyoti.com, advt.udaipur@dnavajyoti.com,

शुल्क ... जित किया ... टल के सहयोग ... कार्यक्रम में अध्यक्ष ... अग्रवाल, मुख्य सलाहकार ... अरुण चोगले, उपाध्यक्ष रमेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र अग्रवाल और सदस्य सुभाष मोटवानी उपस्थित रहे। संयुक्त सचिव अशोक गुप्ता,

प्रधानाचार्य संतोष व अध्यापिकाओं ने उत्साहवर्धन किया। शिविर में 9 से 14 वर्ष आयु की 83 बालिकाओं को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई, जिससे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में मदद मिलेगी।

है। कई गंभीर ऑपरेशन टाले जा चुके हैं और सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ने से लोग बिना इलाज के लौटने को मजबूर हैं।

...सामोद, घनश्याम महारवालों का सम्मान किया गया।

द्धांजलि

...मुस्लिम ...च्च नेता ...मिल्लत ...समुदाय ...हादत पर ...बगड़ा)

...री से ...ाल

...कल, भारत ...ान में डॉ. ...के अवसर ...संविधान के ...ान्वयन पर ...वक्ता प्रो. ...धान तभी ...किया जाए। ...हैं, बल्कि ...संविधान ...र प्रशासन ...संगठनों, ...संवैधानिक ...के विचार ...नके समक्ष ...और करनी ...के वर्तमान ...है। उन्होंने ...के प्रयास ...पर निर्भर ...ा जी.एस. ...करने की ...ल के सह ...किया। इस ...निदेशक ...है।

गंभीर रूप से अवमानक औषधि के संबंध में अलर्ट नोटिस जारी

जयपुर, 15 अप्रैल (ब्यूरो): खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, राजस्थान ने राज्य में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण अलर्ट नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार बैच नंबर VT25225 की Amo&ycillin, Potassium Clavulanate & Lactic Acid Bacillus Tablets (Kilmed {wz LB) नामक औषधि का नमूना गंभीर रूप से अवमानक पाया गया है। आयुक्तालय ने आमजन एवं चिकित्सा संस्थानों से अपील की है कि वे इस बैच की औषधि का उपयोग न करें। यदि यह औषधि कहीं उपलब्ध हो तो इसकी सूचना निकटतम औषधि नियंत्रण अधिकारी को दें।

आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि यह औषधि M/s VADSP Pharmaceuticals हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित तथा M/s IQMED Healthcare, जयपुर के लिए विपणन की गई थी। परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि उक्त औषधि में Clavulanic Acid की मात्रा अनुपस्थित (Nil) पाई गई, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने बताया कि राज्य के सभी सहायक औषधि नियंत्रकों एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उक्त बैच की उपलब्धता की जांच करें तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

RPCB/RO Sikar/SIK-PH-050/ Date 04.2026

विषय : मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा, प्लॉट नम्बर 44., खसरा नम्बर 2774/1097 एवं 2777/1103. निवाट ग्राम नरसिंहवाला, तहसील पाटन एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जोकि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 06.3572 हेक्टयेर, प्लॉट नम्बर 44, खसरा नम्बर 2774/1097 एवं 2777/1103, निकट ग्राम नरसिंहवाला, तहसील-पाटन एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है। 2. और चूंकि मैसर्स श्री महावीर प्रसाद नागौरा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिला कलेक्टर, सीकर।
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीमकाथाना जिला सीकर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
5. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
6. उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
7. ग्राम पंचायत न्यौराणा तहसील पाटन एवं जिला सीकर।
8. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम न्यौराणा, तहसील पाटन एवं जिला सीकर।
9. निर्देशक, पर्यावरण विभाग कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर के पत्र क्रमांक 1233 दिनांक 02.04 2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22/05/2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम न्यौराणा, तहसील पाटन एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर मे दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

ह./- क्षेत्रीय अधिकारी,राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

आम सूचना मैं मधु शर्मा पत्नी स्व. विनोद कुमार शर्मा निवास-कोटपूतली (राजस्थान), शपथपूर्वक घोषित करती हूँ कि मेरे पति (जिनका देहांत चुका है) के नाम की कार ALTO 800 LXI (RJ32CA2482) मॉडल 2013 पूर्णतः वैध है, उस पर कोई ऋण, चोरी या विवाद नहीं है। मैं सहमति से इसे अपने नाम करवाना चाहती हूँ, समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

आम सूचना: यह कि दुकान संख्या एस-28, गोविन्द नगर वेस्ट, आउट साईड ऑफ जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज का आवंटन श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर (रजि. नं. 2445/एल) जरिये आवंटन पत्र दिनांक 15-06-1975 को श्री नानगराम पुत्र श्री बलजी के पक्ष में जारी किया गया। श्री नानगराम द्वारा उक्त दुकान की वसीयत श्री गोपाल सैनी के पक्ष में दिनांक 13.04.1994 को कर दी गई एवं इसके पश्चात् श्री नानगराम का स्वर्गवास दिनांक 06.04.1996 को होने के पश्चात् इनकी पत्नी श्रीमती फूली देवी का दिनांक 28.01.2016 व इनकी पुत्री श्रीमती सरोज देवी (मीना) सैनी का स्वर्गवास दिनांक 21.05.2013 को हो गया। इस प्रकार उक्त सम्पति के मालिक स्वामी श्री गोपाल सैनी हुए। श्री गोपाल सैनी द्वारा उक्त सम्पत्ति का विक्रय श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री रामकिशन को किया जा रहा है। उक्त दुकान/प्लाट पर Tata Capital Housing Finance Limited, Jaipur से ऋण हेतु आवेदन किया गया है। यदि उक्त अचल सम्पत्ति के Tata Capital Housing Finance Limited, Jaipur में बन्धक किये जाने व स्व. श्री नानगराम के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में किसी को कोई भी आपत्ति हो तो सात दिन में पेश करें। बाद मियाद आपत्ति अमान्य होगी।

आर.वी. पार्टनर्स, एडवोकेट, ए-19, वैशाली नगर, जयपुर
मो.नं. 9928214445 | R/4832/2022

DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL-DELHI
Apartment No. 318 IIIrd Floor, Hotel Samrat, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021

Appeal No. 198/2023
O.A. No.914/2018
(DRT- Jaipur)

Canara Bank Appellant/s
Vs
Zaki Mithai Wala & Anr. Respondent/s

Notice

1. Shri Zaki Mithai Wala S/o Shri Fakruddin Mithai Wala Plot No.8, Monkia Vihar-I, Mangyawas Road, Jaipur-302020, Rajasthan. Also at: 5- Najam Marg, Boharwadi, Udaipur-313001, Rajasthan; ....Respondent No. 1
2. Shri Chetan Singh Rajput, S/o Shri Gattu Singh Rajput, Zine complex Debari, Udaipur-313001, Rajasthan ....Respondent No. 2

Whereas the notice that an appeal from the order passed by the Presiding Officer of D.R.T. in the above case has been presented by the appellant on 28.07.2023 and is registered in the Tribunal. The matter was listed before this Tribunal on 06.04.2026

Whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way, Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal on 18.05.2026

Whereas take notice that in default of your appearance on the day mentioned above, the case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the Seal of the Tribunal, this 08th day of Apr, 2026.

(Seal) BY ORDER OF THE TRIBUNAL
Section Officer

DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL-DELHI
Apartment No. 318 IIIrd Floor, Hotel Samrat, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021

Appeal No. 410/2023
O.A No. 222/2018
(DRT-Jaipur)

Canara Bank Appellant/s
Vs
Sh. Manish Gupta & Ors. Respondent/s

Notice

1. Shri Arjun Singh Chohan S/o Sh. Ramchndra Chohan R/o 185, Vijay Singh Pathik Nagar, Jhotwara, Jaipur (Rajasthan). Respondent No.2
2. M/s Piramal Capital & Housing Corporation Finance Ltd. Warden House 2nd Floor, Sir PM Road, Fort, Mumbai, Maharashtra-400001. Respondent No.4

Whereas the notice that an appeal from the order passed by the Presiding Officer of D.R.T. in the above case has been presented by the appellant on 04.12.2023 and is registered in the Tribunal. The matter was listed before this Tribunal on 02.04.2026.

Whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way, Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal on 11.05.2026.

Whereas take notice that in default of your appearance on the day mentioned above, the case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the Seal of the Tribunal, this 08th day of Apr, 2026.

(Seal) BY ORDER OF THE TRIBUNAL
Section Officer

DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL-DELHI
Apartment No. 318 IIIrd Floor, Hotel Samrat, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021

Appeal No. 195/2023
In O.A. No.83/2018
(DRT-Jaipur)

Canara Bank Appellant/s
Vs
Everest Construction & Civil Work & Anr. Respondent/s

Notice

1. Shri Everest Construction & Civil Work Through Proprietor Shri Vineet Jain, Flat No.F-304, Pearl Green Acres, Gopalpura Bypass, Jaipur-302019; ....Respondent No. 1
2. Shri Vineet Jain Proprietor of Everest Construction & Civil Work Flat No.F-304, Pearl Green Acres, Gopalpura Bypass, Jaipur-302019; ....Respondent No. 2

Whereas the notice that an appeal from the order passed by the Presiding Officer of D.R.T. in the above case has been presented by the appellant on 28.07.2023 and is registered in the Tribunal. The matter was listed before this Tribunal on 06.04.2026

Whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way, Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal on 18.05.2026

Whereas take notice that in default of your appearance on the day mentioned above, the case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the Seal of the Tribunal, this 09th day of Apr, 2026.

(Seal) BY ORDER OF THE TRIBUNAL
Section Officer

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

कर्नाटक बैंक लिमिटेड, एमआई रोड, जयपुर

सार्वजनिक सूचना : लॉकर तोड़ने की सूचना

हमारे ब्रांच में लॉकर सुविधा का लाभ उठाने वाले निम्नलिखित ग्राहक को सूचित किया जाता है कि उन्होंने पहले की मांग सूचनाओं के बावजूद लॉकर का किराया नहीं चुकाया है। कृपया ध्यान दें कि यदि इस सूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर बकाया किराया नहीं चुकाया जाता है, तो बैंक के नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, बैंक को लॉकर तोड़ना पड़ेगा। लॉकर का बकाया और लॉकर तोड़ने का शुल्क (जीएसटी सहित) किराएदार से वसूल किया जाएगा।

क्र.सं.	लॉकर नंबर	धारक का नाम एवं पता	लॉकर किराया बकाया
1.	एस1-47	1. श्री कमलेश शर्मा ए-3 मोती लाल अटल रोड, जयपुर 2. श्रीमती श्वेता शर्मा मार्फत श्री कमलेश शर्मा ए-3 मोतीलाल अटल रोड, जयपुर	4366/- रु.

स्थान : जयपुर एम आई रोड
दिनांक: 15.4.2026

सीकर (राज.)
प्रात 11:00 बजे
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल सीकर (राजस्थान)

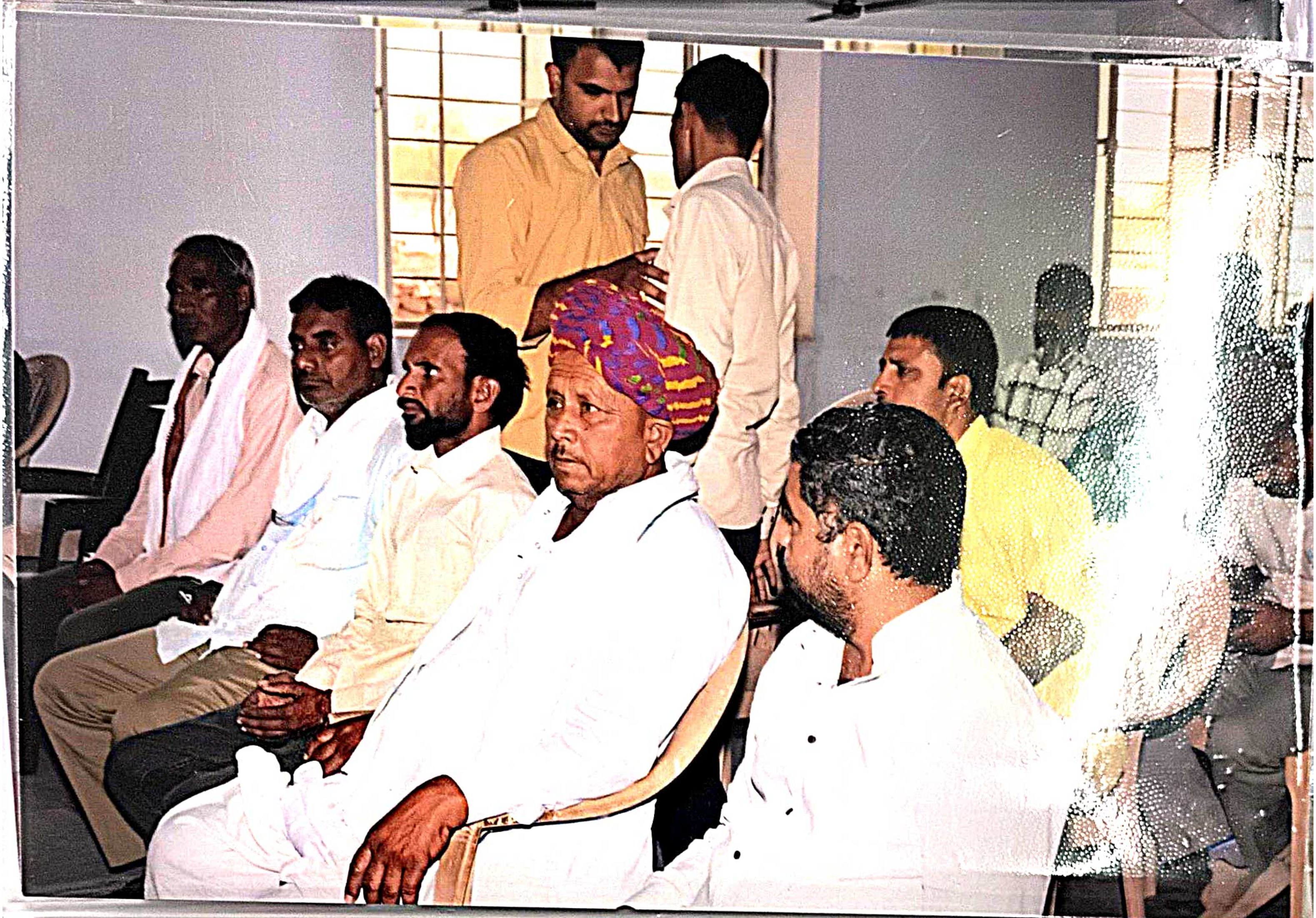

Nike

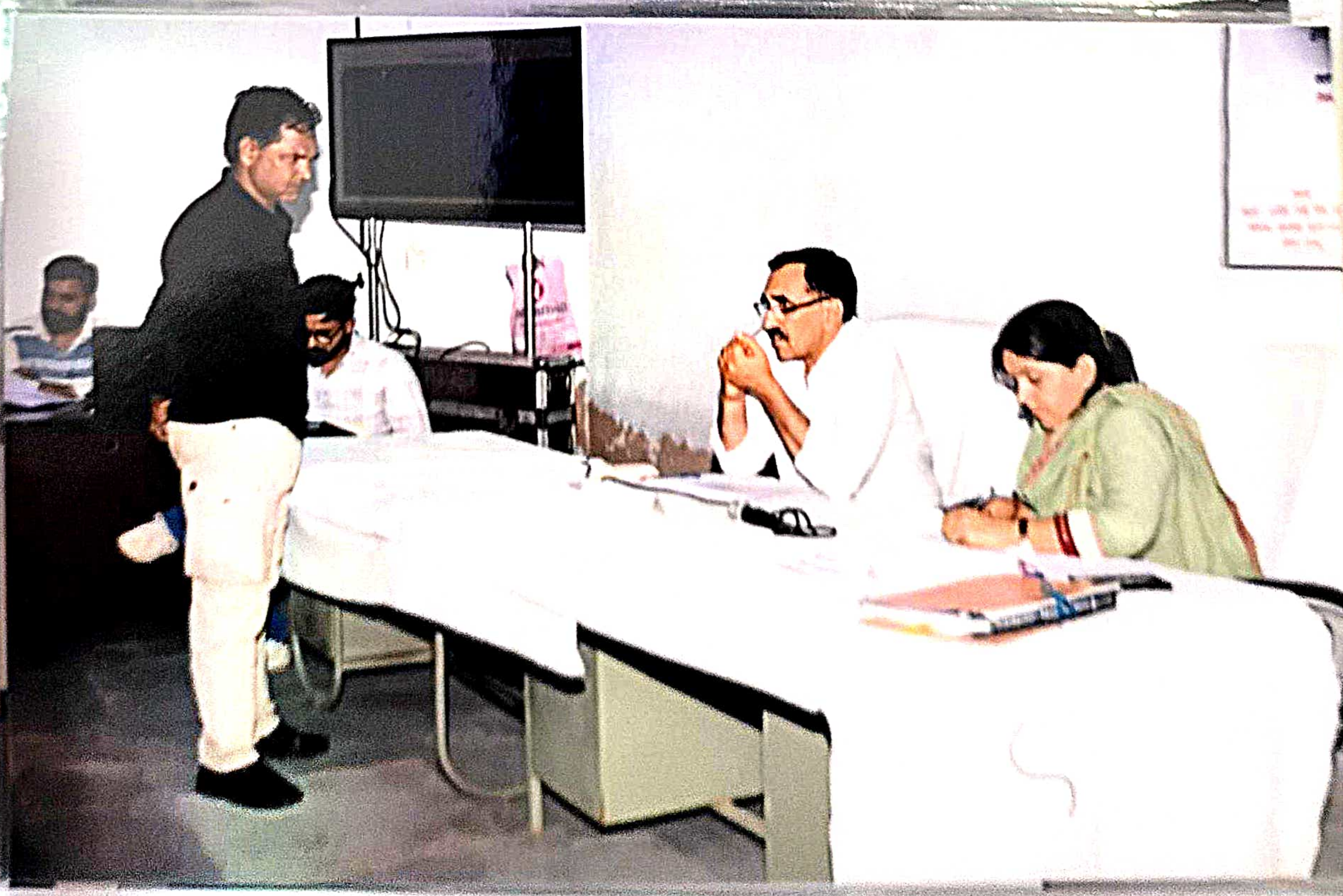

तहसील पाटन एवं जिला
सीकर (राज.)
प्रातः 11:00 बजे

सीकर (राज.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर

HIGH - PERFORMANCE
PREMIUM SERIES
SE13
Flash Drive
USB 3.0
Compatible with USB 2.0
GB
Windows
Large
Mac
Store Your Favorite
Photos, videos, games, Data.
USB Flash Drive